छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2020 रायपुर, दिनांक / /2020

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ विधान सभा के मानसून सत्र अगस्त, 2020 के दौरान जिस दिन सभा की बैठक होगी, उन दिनों में विधान सभा सचिवालय का कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 से सायं 06.00 बजे तक रहेगा, किन्तु यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है तो कार्यालय का समय सभा की बैठक समाप्त होने के एक घण्टे पश्चात् तक रहेगा ।

रविवार, दिनांक 23 अगस्त, 2020 को कार्यालय का समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 05.30 बजे तक तथा 25 अगस्त,2020 को कार्यालय का समय प्रातः 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक या कार्य समाप्ति तक रहेगा।

समस्त उपस्थित अधिकारी निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् प्रमुख सचिव महोदय की अनुमति प्राप्त कर एवं समस्त उपस्थित कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे ।

अधिकारी/कर्मचारी उन्हें प्रदायित रेमण्ड सफारी में दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय आयेंगे । समस्त वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किए गए वर्दी, निर्धारित जूते एवं टोपी पहनकर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

कोरोना वायरस (COVID-19) के मद्देनजर सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दृष्टि से एवं सचिवालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रभारी अधिकारी द्वारा जिन अधिकारी/कर्मचारियों को सत्रावधि में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई है, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय नहीं आयेंगे किन्तु आवश्यकतानुसार घर से ही शासकीय कार्य संपादित (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे एवं सदैव मोबाइल /टेलीफोन /व्हाट्सएप पर अपने प्रभारी अधिकारी के नियमित संपर्क में बने रहेंगे । ताकि आवश्यक होने पर अल्प सूचना पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सके ।

सत्र के दौरान घड़ी चौक एवं सिद्धार्थ चौक जाने वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 30 मिनट पश्चात् तथा विजेता काम्पलेक्स जाने वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 01 घण्टे पश्चात रहेगा ।

आदेश से,

(हस्ताक्षर)

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 9098 /वि.स./स्था.2020 रायपुर, दिनांक 19/8/2020

प्रतिलिपि

01. मान. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ
02. मान. नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान. उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
04. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के स्टॉप ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. सर्वर कक्ष ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा